<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>5/05/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 296.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में स्थित आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों, भूमि आदि सहित कुल 195 संपत्तियां कुर्क की गईं। ये संपत्तियां कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी संजय कुमार सुरेका और उनकी 34 संबद्ध संस्थाओं के नाम पर हैं, जिनमें शेल कंपनियां, रिश्तेदार, कर्मचारी आदि शामिल हैं। ये संपत्तियां संजय कुमार सुरेका के लाभकारी स्वामित्व में हैं।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल), अपने प्रमोटरों/निदेशकों के साथ धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त थे, जैसे कि धन का डायवर्जन/साइफन, फुलाए हुए स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना, वित्तीय हेरफेर आदि। आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों के संघ से टर्म लोन, कैश क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) सहित कई क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था और बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ 6210.72 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) की धोखाधड़ी की थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि संजय कुमार सुरेखा और उनके सहयोगी व्यक्तियों ने बैंकों के कंसोर्टियम से प्राप्त ऋण राशि को डायवर्ट करने और उसकी लॉन्डरिंग के इरादे से कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर फर्जी संस्थाओं का जाल बिछाया था। डायवर्ट की गई राशि का इस्तेमाल निजी खर्चों, लाभकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों सहित विभिन्न अचल संपत्तियों को खरीदने आदि के लिए किया गया।

इससे पहले, जांच के दौरान, अचल संपत्तियों के रूप में 210.07 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और 31.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया। साथ ही, कई शहरों में कई स्थानों पर तलाशी ली गई, जिससे महत्वपूर्ण आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। मुख्य प्रमोटर श्री संजय सुरेका को 18.12.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा, 15.02.2025 को विद्वान मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता की अदालत में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई।

आगे की जांच जारी है।